पाकुड़ समाहरणालय
आशुलिपिक एवं प्रेषण शाखा
4 NOV 2011
शाखा का नाम

1006/RL-2405
31-10-11

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संख्या 1494 दिनांक 20/10/11

संकल्प

विषय : राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही आबादी के परिवारों में नवजात बालिका शिशु के संरक्षण, शिक्षा तथा सुरक्षित भविष्य के लिये "मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना" की स्वीकृति।

1. उद्देश्य :-
   - [i] पुत्री के जन्म से समाज में फैली/फैलनेवाली हीन भावना का अन्त
   - [ii] कन्या भ्रूण हत्या पर रोक
   - [iii] बच्चियों की शिक्षा के स्तर में सुधार तथा बालिका शिक्षा में ड्रॉप आउट दर घटाना।
   - [iv] बालिकाओं के विवाह में आनेवाली आर्थिक परेशानियों का अन्त
   - [v] संस्थागत प्रजनन को प्रोत्साहन
   - [vi] बाल विवाह प्रथा का अन्त

   इस योजना से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में आशातीत सफलता होगी।

2. योजना का स्वरूप :-
   - यह योजना राज्य में "मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना" के नाम से जानी जायेगी।
   - योजना वर्तमान वर्ष 2011 के झारखण्ड स्थापना दिवस अर्थात 15 नवम्बर 2011 से सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी।
   - प्रत्येक BPL नियोजित दो बच्चों के परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम पुत्री अथवा द्वितीय पुत्री अथवा दोनों प्रसवों से उत्पन्न बच्ची को जन्म के वर्ष से लेकर लगातार 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹ 6000/- की दर से यानि कुल 5 वर्षों में ₹ 30000/- डाक जमा योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनियोग किया जायेगा।

3. राशि प्रदाय :-
   - बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश करने पर ₹ 2000/- का एकमुश्त भुगतान बालिका को होगा
   - बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश करने पर बालिका को एकमुश्त ₹ 4000/- का भुगतान होगा
   - बालिका के कक्षा 11वीं में प्रवेश पर ₹ 7500/- का एकमुश्त भुगतान होगा।
   - 11वीं तथा 12वीं में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्राप्त सुविधाओं के अलावे प्रतिमाह ₹ 200/- का स्कालरशिप का भुगतान बालिका को इस मद से किया जायेगा।
   - बालिका की आयु 21 वर्ष होने तथा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर ₹ 1,08,600/- (एक लाख आठ हजार छः सौ) रुपये का एकमुश्त भुगतान बालिका को कर दिया जायेगा। किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ही हुई हो।
   - योजना के मध्य यानी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व भी बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय समस्त राशि का भुगतान समयपूर्व किया जा सकेगा बशर्ते कि :-

(क) बालिका की आयु 18 वष हो चुकी हो
(ख) बारहवीं की परीक्षा में सम्मिलित हो
(ग) उसका विवाह 18 वर्ष की आयु अथवा उसके बाद हुआ हो
(घ) उसका जन्म संस्थागत हुआ हो

4. **लाभार्थी हेतु पात्रता :–**

1. गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो।
2. अधिकतम दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन दम्पत्ति द्वारा अपना ली गई हो।
3. दिनांक 15 नवम्बर 2010 को अथवा इसके बाद जन्मी बालिका हो।
4. यदि माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार नियोजन की शर्त शिथिल हो जायेगी परन्तु मृत्यु प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
5. यदि अनाथ/गोद ली गई बालिका है, तो प्रथम बालिका मानी जायेगी।
6. यदि जुड़वा हो तो भी मान्य होगा, यदि दोनों बच्चियां होगी तो दोनों को मान्य होगा।
7. दूसरी पुत्री के मामले में यह तभी मान्य होगा जब माता या पिता के नसबंदी का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो।
8. अनाथ बालिका होने पर जन्म के 5 साल तक किया गया पंजीकरण मान्य होगा।
9. जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन देना अनिवार्य होगा, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं हो पायेगा।
10. योजना कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष यानी 2011–12 में वैसे मामले भी संज्ञान में लिये जायेंगे जिनका जन्म एक साल पहले यानि 15.11.2010 या इसके बाद हुआ हो परन्तु यह शिथिलता सिर्फ प्रथम वर्ष होगी।
11. प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/नगर निकाय द्वारा निर्गत हो।
12. बालिका के कक्षा 7वीं में पहुंचने पर होनेवाले प्रथम भुगतान के पूर्व संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक बालिका के लिए "आधार" पहचान पत्र (UID) बनाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी भुगतान के समय लाभार्थी एवं उनके परिजनो का "आधार" पहचान पत्र संख्या होना अनिवार्य होगा।

5. **अपवाद :–**

- यदि बच्ची का निबंधन सही हुआ हो परन्तु योजना के किसी भी स्तर में वह निर्धारित आहर्ता प्राप्त नहीं कर पाती हो यानी 6वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं कक्षा के पूर्व विद्यालय परित्याग कर देती है तो तत्काल प्रभाव से योजना का लाभ उसे नहीं दिया जा सकेगा।
- यदि बच्ची का विवाह 18 वर्ष से कम आयु पर ही हो जायेगा तो आगे किसी भी प्रदाय की हकदार वह नहीं होगी।
- यदि बालिका की असमय मृत्यु हो जाती है तो प्रदाय का हकदार उसका परिवार नहीं होगा।
- ऐसी किसी भी स्थिति में समस्त राशि वापस राजकोष में निहित हो जायेगी।

6. **आवेदन प्रक्रिया :–**

- अभ्यर्थी को अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में आवेदन देना होगा।

- जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी0पी0एल सूची में शामिल होने संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेगें।
- अनाथ बालिका के मामलें में अनाथालय/संरक्षणालय के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर एवं बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व तक संबंधित परियोजना के अधिकारी को आवेदन देना होगा।

7. कार्यान्वयन प्रक्रिया :–

- बी0पी0एल0 परिवार की कोई महिला, जो आंगनबाड़ी केन्द्र की सदस्या हो, को प्रसव की जानकारी होते ही निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र में सूचना देगी तथा आंगनबाड़ी सेविका संतुष्ट होने पर प्रसूती महिलाओं की पंजी में उसका नाम दर्ज करेगी।
- समस्त अहर्तायें रखने एवं बच्ची के जन्म होने पर प्रसंगाधीन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु तुरंत आवेदन पत्र भरायेगी तथा एक पंजी में ऐसे सभी आवेदिकाओं की समस्त विवरणी संधारित करेगी।
- ऐसे सभी एकत्रित आवेदनों को सूचीबद्ध कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समर्पित करेगी।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्राप्त सूची को क्षेत्रवार पर्यवेक्षको के माध्यम से जाँच करायेगें तथा आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर संधारित पंजी की सत्ययता की सम्पुष्टि करायेगें।
- परियोजना स्तर पर समेकित सूची संधारित कर के आवेदन पत्रों को अपने पास रखेगें एवं सूची के साथ उपायुक्त को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेगें।
- उपायुक्त इस प्राप्त प्रस्ताव को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सत्यापित करते हुए जिला स्तरीय परियोजनावार समेकित सूची सत्यापित करेंगे तथा सूची में निहित योग्य लाभार्थियों को योजना स्वीकृत करेगें।
- प्रस्तावित येाजना की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त होगें।
- स्वीकृत लाभार्थियों की सूची में अंकित प्रति लाभार्थी ₹ 6000/- हजार की दर से राशि का आकलन कर कोषागार से राशि का आहरण कर उसका चेक एवं स्वीकृत लाभार्थियों की सूची जिला स्तरीय प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक को उपायुक्त उपलब्ध करा देगें।
- डाक अधीक्षक नामित बच्चियों के नाम से प्राप्त प्रत्येक ₹ 6000/- हजार को सर्वप्रथम सरकार के नाम से Pledge करेगें तथा इस राशि का निवेश निम्नवत् करेगें:–

  (क) MIS में ₹ 4500/-
  (ख) TD में ₹ 1200/-
  (ग) Recurring में ₹ 30/-
  (घ) SB A/c में ₹ 270/-

इसके बाद प्रत्येक माह MIS से प्राप्त होनेवाली मासिक आय बालिका के RD लेखा में SB के माध्यम से जाती रहेगी (MIS से सीधे RD में स्वापिंग का Provision नहीं है)। बाद के वर्षों में प्राप्त होनेवाली राशि ₹ 6000/- का विनियोग

सिर्फ MIS में ही होगा तथा मासिक आय RD में SB के माध्यम से swa₁ रहेगी।

- डाक अधीक्षक बच्ची के नाम से निर्गत निम्नलिखित चार दस्तावेज उपायुक्त को उपलब्ध करावेंगे :–
  - (क) मासिक आय योजना प्रमाण–पत्र
  - (ख) सावधि जमा योजना प्रमाण–पत्र
  - (ग) सेविंग्स लेखा पासबुक
  - (घ) रेकरिंग डिपोजिट पासबुक

  उपायुक्त उक्त चारों दस्तातेज बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से बालिका के माता को हस्तगत करा देंगे।
- डाक अधीक्षक उक्त निर्गत दस्तावेजों की संख्या जैसे–SB A/c No., MIS Certificate No., TD Certificate No. एवं Recurring Deposit A/c No. को अंकित करते हुए बालिकावार सत्यापित सूची की चार प्रतियाँ तैयार करेंगे तथा एक प्रति उपायुक्त को, एक प्रति राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी तथा एक कॉपी डाक विभाग द्वारा मनोनीत राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करावेंगे।
- कालान्तर में समूची प्रक्रिया को एक web-based portal के माध्यम से transparent बनाने का संयुक्त प्रयास डाक विभाग एवं सरकार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग इस योजना का प्रशासी विभाग होगा एवं इस विभाग द्वारा नामित एक नोडल पदाधिकारी इस योजना के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें।
- नोडल पदाधिकारी तथा डाक विभाग के पोस्टमास्टर जनरल (व्यवसाय विकास) के बीच एक MoU होगा जिसपर दोनों पक्षों के कृत्य एवं दायित्व अंकित रहेगें।
- इस योजना के प्रचार–प्रसार एवं कार्यान्वयन में होनवाले आकस्मिकता व्यय हेतु योजना की कुल राशि का अधिकतम 1.5% की राशि व्यय की जा सकेगी।

9. उच्च स्तरीय समिति :–

(क) योजना का स्वरूप/कार्य प्रक्रिया संशोधन/अधिक प्रदायी विकल्पों का चुनाव एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी जो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समुचित निर्णय लेने में सक्षम होगी।

(ख) योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत स्पष्ट मार्ग–दर्शिका निर्गत की जायेगी।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के दो वर्षों के पश्चात् इसका किसी निष्पक्ष एजेंसी से external evaluation कराया जायेगा ताकि योजना के कार्यान्वयन में अगर कोई खामी हो तो उसे दूर किया जा सके।

10. व्यय भार का वहन :–

इस योजना की राशि की निकासी योजना एवं विकास विभाग के मांग सं0–35 के अन्तर्गत निम्न शीर्षों से विकलनीय होगाः–

(i) जनजातिय क्षेत्र :– मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण–796–शीर्ष–06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता/ सहायता। विपत्र कोड–35 P 223502796010649

(ii) सामान्य क्षेत्र :– मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–01–मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली

योजना–06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता/सहायता विपत्र कोड–35 P 223502102010649

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

20/10/11

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक ....1494..... / रॉंची/दिनांक....20/10/11.....
संचिका सं० : उ0स0/वि0–33/11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के उक्त अंक की 500 प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20/10/11

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक ....1494..... / रॉंची/दिनांक....20/10/11.....
संचिका सं० : उ0स0/वि0–33/11

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक ....1494..... / रॉंची/दिनांक....20/10/11.....
संचिका सं० : उ0स0/वि0–33/11

प्रतिलिपिः– चीफ पोस्टमास्टर जनरल, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक ....1494..... / रॉंची/दिनांक....20/10/11.....
संचिका सं० : उ0स0/वि0–33/11

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आयुक्त/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/11

सरकार के सचिव।